केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 'सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधन रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' के लोकसभा में पारित होने पर छात्रों को बधाई दी

यह विधेयक कड़े प्रावधानों के ज़रिए हमारे युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है

यह उन लोगों के लिए सबसे कठोर सज़ा का प्रावधान करता है जो सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता को भंग करने की हिमाकत करते हैं

मोदी सरकार छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी

यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि ऐसे लोगों को कानून की पूरी सख़्ती का सामना करना पड़े

प्रविष्टि तिथि: 29 JUL 2026 6:00PM by PIB Delhi

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज लोकसभा में 'सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधन रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' के पारित होने पर भारत के सभी छात्रों को बधाई दी।

X पर एक पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा, "आज लोकसभा में 'सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधन रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' के पारित होने पर भारत के सभी छात्रों को बधाई। यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता को भंग करने की हिम्मत करने वालों के लिए सबसे कठोर सजा के कड़े प्रावधान करके हमारे युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। मोदी सरकार हमारे छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी और यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि उन्हें कानून की पूरी सख्ती का सामना करना पड़े।"

> Congratulations to every student in India on the passage of the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 in Lok Sabha today.
>
> The bill shields the dreams and aspirations of our youth by laying down iron-clad provisions imposing the harshest punishment…
>
> — Amit Shah (@AmitShah) July 29, 2026

***

RK/RR/PR/SKS

(रिलीज़ आईडी: 2291257) आगंतुक पटल : 78
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu